

### अनुमति की शर्तें ।

- (i) उपरोक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल श्रेणी केवल आवासीय पर्याप्तार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 913 दिनांक 10/03/2024

श्री. अशोक शर्मा 3/6 (सी. डी.) शंकर

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 11890/- जमा

करिये रसीद संख्या 9069/5790/24

दिनांक 10/03/2024 को जमा करा दी है ।

P.No: 40 सेक्टर ई कमला नहर नगर

सुबम विस्तार

10/03/2024

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

जी.न।  
आवासीय

9414049590